संख्या-186/2017/3565(1)/26-3-2017-4(215)/90टी0.सी0।।।

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 दिसम्बर 2017

विषयः-शैक्षिक सत्र 2017-18 में कक्षा (9 व 10) में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने एवं अन्य प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु संशोधित समय सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-4845/स.क./शिक्षा-अ/3/6/2017-18, दिनांक-26.12.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त पूर्वदशम (कक्षा 9 व 10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत मास्टर डाटा बेस बनाने एवं छात्रवृत्ति वितरण हेतु शैक्षिक सत्र 2017-18 के लिये जारी शासनादेश संख्या-80/2017/1359/26-3-2017-4(358)/07टी.सी.।।।, दिनांक-19.05.2017 द्वारा पूर्व में निर्गत समय-सारिणी में संशोधन करते हुये निम्नवत् संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जाती हैः-

क्र0सं0	कार्यवाही का स्तर	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की पूर्व समयावधि कक्षा 9-10 हेतु	कार्यवाही की वर्तमान समयावधि कक्षा 9-10 एवं कक्षा 11-12 हेतु
1	स्तर-6	शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	02 जुलाई से 01 नवम्बर 2017 तक	02 जनवरी 2018 तक
2	स्तर-7	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं	15 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2017 तक	15 नवम्बर से 15 जनवरी 2018 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना		
3	स्तर-8	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-10 एवं कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना	01 अगस्त से 02 नवम्बर 2017 तक	04 जनवरी 2018 तक
4	स्तर-9	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना एवं PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना	01 नवम्बर से 15 नवम्बर 2017 तक	02 जनवरी से 17 जनवरी 2018 तक
5	स्तर-10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाक किया जाना	10 दिसम्बर 2017 तक	02 जनवरी 2018 तक
6	स्तर-11	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	16 से 30 नवम्बर 2017 तक	18 जनवरी से 25 जनवरी 2018 तक
7	स्तर-12	आनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 04 दिसम्बर 2017 तक।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 28 जनवरी 2018 तक।
8	स्तर-13	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	16 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2017 तक	19 जनवरी से 01 फरवरी 2018 तक
9	स्तर-14	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद	05 दिसम्बर	02 फरवरी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना	से 20 दिसम्बर 2017 तक	2018 से 12 फरवरी 2018 तक
10	स्तर-15	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाक किया जाना	10 जनवरी 2018 तक।	20 फरवरी 2018 तक।
11	स्तर-16	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना	17 जनवरी 2018 तक	25 फरवरी 2018 तक
12	स्तर-17	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट**(e-payment)** के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	25 जनवरी 2018 तक	05 मार्च 2018 तक

2- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2017-18 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

मनोज सिंह

प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-186/2017/3565(1)/26-3-2017 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, वित्त, नियोजन, मा0शिक्षा, उ0प्र0शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई योजना भवन, लखनऊ।

9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।